भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2010

दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए

आन्ध्र प्रदेश में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति

2010. श्री गरिकपति मोहन रावः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल अभी भी पहुंच से बाहर है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में कितने गांव भू–जल में फ्लोरॉइड, नाइट्रेट, लवणता, आर्सेनिक तत्वों की बहुलता से प्रभावित हैं; और
(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) एवं (ख) राज्यों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार, देश की 16,96,531 बसावटों में से 78,508 बसावटें फ्लुराइड, नाइट्रेट, लवणता, आर्सेनिक और/अथवा लौह तत्व जैसे एक अथवा एक से अधिक संदूषणों से जल गुणवत्ता से प्रभावित हैं। कुल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में से आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों में क्रमशः 1554 और 1619 जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटें हैं।

(ग) नव-गठित आन्ध्रप्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में अनुमत सीमाओं से अधिक फ्लुराइड, नाइट्रेट, लवणता, आर्सेनिक और लौह तत्व से प्रभावित बसावटों का ब्यौरा, 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार, नीचे दिया गया है:

राज्य का नाम	रासायनिक संदूषक के नाम					
	फ्लुराइड	नाइट्रेट	लवणता	आर्सेनिक	लौह तत्व	कुल
आन्ध्र प्रदेश	745	125	610	0	74	1554
तेलंगाना	1174	162	232	0	51	1619

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों में उनकी सहायता करता है। राज्यों को आबंटित एनआरडीडब्लूपी निधियों के 67 प्रतिशत तक का उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एनआरडीडब्लूपी निधियों का 5 प्रतिशत उन राज्यों के लिए चिन्हित और आबंटित किया गया है, जहाँ पीने के पानी में रासायनिक संदूषण की समस्याओं का सामना किया जा रहा है अथवा जहाँ जापानी एनसैफलाइटिस एवं तीव्र एनसैफलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार जल गुणवत्ता के अनुवीक्षण तथा निगरानी के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर राज्यों को 3 प्रतिशत एनआरडीडब्लूपी निधियां उपलब्ध कराती है, जिसमें अन्य कार्यों के साथ-साथ जिले/ उप जिले में नए अथवा उन्नत जल गुणवत्ता जाँच प्रयोगशालाएं स्थापित करने, प्रयोगशालाओं को रसायन तथा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध कराने, ग्राम पंचायतों को क्षेत्र जाँच किट/ रीफिल उपलब्ध कराने आदि से संबंधित कार्यों को किया जाना शामिल है। इसके अलावा राज्यों को आबंटित एनआरडीडब्लूपी निधियों के 10 प्रतिशत तक का उपयोग भूमिगत जल का कृत्रिम ढंग से पुनर्भंडारण करने के लिए तथा अन्य तरीकों से पेयजल के स्रोतों की निरंतरता के लिए किया जा सकता है जिनमें अन्य तरीकों के साथ-साथ एक्वीफायरों में संदूषण का स्तर भी कम हो सकता है।

मंत्रालय ने आन्ध्रप्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों सहित सभी राज्यों से कहा है कि वे जल-गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का कवरेज करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

****